Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/164/2005/भरतपुर

1 छिद्दीसिंह पुत्र फूलसिंह
2 छीतरसिंह पुत्र फूलसिंह
3 मुखिया पुत्र फूलसिंह सभी जाति जाट निवासी ग्राम तमरेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

अपलार्थी

बनाम

1 लालसिंह पुत्र निनुआ
2 महेन्द्रसिंह पुत्र निनुआ
3 विजयसिंह पुत्र निनुआ सभी जाति जाट निवासी तमरेर
4 केसर पुत्र पोहपसिंह
5 नारायण पुत्र पोहपसिंह
6 रामफल पुत्र पोहपसिंह
7 चरनसिंह पुत्र पोहपसिंह
8. जवाहरसिंह पुत्र रामसिंह
9 राजनसिंह रामसिंह
10 करनसिंह पुत्र रामसिंह
11 भगवानसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
12 चेतनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह सभी जाति जाट निवासी तमरेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुम्हेर जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री जे.के.पारीक वकील अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.24.5.18

यह द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 72/2003 में पारित निर्णिय दिनांक 11.10.2004 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तमरेर की साबक आराजी खसरा नम्बर 1092 रकबा 3बीघा 5 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की है। भू प्रबन्ध विभाग ने इसके नवीन खसरा नम्बर 850 रकबा 0.12 हैक्टर बनाया है जो साबिक के मुकाबले 40 एयर रकबा कम किया गया। साबिक खसरा नम्बर 1351 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा है जिसके अनुसार 2 बीधा 7 बिस्वा आता है। इसके हाल खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.19 हेक्टर, 1600 रकबा 0.09 हेक्टर बनाये। इसमें साबिक के मुकाबले 8 एयर रकबा कम दर्ज किया है। इसी खसरा नम्बर 1351 में पोहपसिंह का 1/5 हिस्सा दर्ज है। उसका रकबा मौके पर 37 एयर होना चाहिये जबकि वह 35 एयर है। हाल खसरा नम्बर 1596 रकबा 0.29 व 1597 रकबा 0.13 दर्ज किया है जिनमें साबिक के मुकाबले 8 एयर रकबा बेशी है। खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.13 में से 8 एयर रकबा कम कर हाल खसरा नम्बर 1600 रकबा 0.09 में बेशी किया जावे। अतः साबिक रेकार्ड एवं मौके के अनुसार रकबा पूर्ति कर इन्द्राज दुरूस्त किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 25.3.2003 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इसके विरूद्ध अप्रार्थी वर्तमान प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त समभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने निर्णय दिनांक 11.10.2004 से अपील स्वीकार कर ली। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील मयाद बाहर थी एवं देरी का समुचित कारण नहीं बताया गया है। जिससे देरी माफ नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार है अतः वह आदेश वैध होकर क्षेत्राधिकार में पारित किया गया आदेश है। धारा 136 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियां ही नहीं इस प्रकार की भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलतियां भी दुरूस्त की जा सकती है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक के मुकाबले हाल खसरा नम्बरों में अपीलार्थीगण का रकबा कम किया है तथा अन्य खसरा नम्बरों में रकबा बढाया है जो स्पष्ट है जिसे दुरूस्त करने का दिया गया आदेश न्यायोचित होने से यह अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अप्रार्थी वर्तमान प्रत्यर्थीगण की प्रोपर तामील ही नहीं कराई एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध भी आदेश पारित

किया है। जिससे प्रत्यर्थीगण को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी एवं जानकारी होने पर उन्होंने प्रथम अपील प्रस्तुत की। साथ में धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी तथ्यों का विवेचन कर धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जो न्यायोचित है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि धारा 136 भू राजस्व अधि0 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियां एवं वे त्रुटियां जिसमें दोनों पक्षकार सहमत होते हैं, दुरूस्त की जाती है। वर्तमान प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है बल्कि उपखण्ड अधिकारी ने तो प्रभावित पक्षकार की तामील कराये बिना एवं बिना सुने ही निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा सहमति नहीं दी गई है जिससे उनका निर्णय त्रुटिपूर्ण है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की गलती नहीं की है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण वर्तमान प्रत्यर्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 2.8.2001 को जारी नोटिसों पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि संबंधित पक्षकार घर पर नहीं मिला। इस कारण एक प्रति खुले मकान पर चस्पा की गई। इस रिपोर्ट पर किसी स्वतंत्र गवाह के नाम पते अंकित नहीं है। इसी प्रकार दिनांक 20.10.2002 को जारी नोटिस पर भी उक्तानुसार ही रिपोर्ट की जाकर गवाह के रूप में देवीसिंह व चन्दन नाम अंकित है। इन दोनों गवाहो का पूरा नाम पता अंकित नहीं है। इसके साथ ही बिना न्यायालय के आदेश के चस्पादंगी से तामील कराई गई है। ऐसी स्थिति यह तामील समुचित तामील नहीं मानी जा सकती।

उपखण्ड अधिकारी के समक्ष जब अप्रार्थी वर्तमान प्रत्यर्थीगण की तामिल ही सही नहीं हुई तो वे उपस्थित नहीं हो सके एवं उन्हें उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी को माफ किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा मयाद का उठाया गया प्रश्न महत्वहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटियां दुरूस्त की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखने पर ऐसी त्रुटियां नियमित वाद द्वारा प्रश्नगत की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम अतिरिक्त समभागीय आयुक्त के

निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

अपीलार्थीगण द्वारा इस हेतु धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी इस प्रकार का वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। जिस हेतु उपखण्ड अधिकारी का आलौच्य निर्णय व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त एवं राजस्व मण्डल का यह निर्णय बाधक नहं समझे जावेगें।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उपरोक्त निर्देश के साथ यह अपील खारिज की जाती है एवं अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 11.10.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य